प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 19 मार्च, 2018**

विषय:- **मै0 श्री सालासार हनुमान जी ग्रेन्स प्रा0 लि0, 278/1, जिवधीपुर इन्ड यल एरिया, रामनगर, चन्दौली को उ0प्र0 खा0प्र0 उद्योग नीति-2012 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु स्वीकृत अनुदान की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त हेतु कुल धनराशि रू0-111.77 लाख (रूपया एक करोड़ ग्यारह लाख सतहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0उ0नि0-2673/59/ब्याज उपादान/2017-18, दिनांक-08.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/997/58-2-2013-10/12 टी0सी0-1, दिनांक- 06.12.2013 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 09.01.2018 एवं 15.02.2018 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर **मै0 श्री सालासार हनुमान जी ग्रेन्स प्रा0 लि0, 278/1, जिवधीपुर इन्ड यल एरिया, रामनगर, चन्दौली** को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु बैंक् द्वारा प्राप्त किये गये वास्तविक ब्याज के सापेक्ष नीति में प्राविधानित 07 प्रतिशत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-21/2017/289/58-2-2017-300(14)/2016, दिनांक-15/05/2017 द्वारा रू0-84.60 लाख, शासनादेश संख्या-27/2017/776/58-2-2017-300(7)/2017, दिनांक-28/08/2017 द्वारा रू0-118.45 लाख तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-34/2017/1198/58-2-2017-300(15)/2017, दिनांक-16.11.2017 द्वारा रू0-224.07 लाख एवं संख्या-03/2018/228/58-2-2018-10/2012, दिनांक-06.02.2018 द्वारा रू0-1500.00 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार **मै0 श्री सालासार हनुमान जी ग्रेन्स प्रा0 लि0, 278/1, जिवधीपुर इन्ड यल एरिया, रामनगर, चन्दौली** द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में ब्याज के रूप में भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि के सापेक्ष उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के तहत अनुमन्य 07 प्रतिशत की दर से अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आकलित अनुमन्य ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति धनराशि **धनराशि रू0-111.77 लाख (रूपया एक करोड़ ग्यारह लाख सतहत्तर हजार मात्र)** को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012- में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं अनुबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-65/58-2-2013-10/2012, दिनांक-21.01.2013 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाया।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in